मोर मकान मोर आस के तहत अब जोन कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं आवेदन, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए कंट्रोल रूम की भी हुई स्थापना कर सकते हैं संपर्क

भिलाई नगर/ नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर आस के तहत किराएदारी के रूप में निवास कर रहे परिवारों को आवास उपलब्ध कराने केवल निगम मुख्य कार्यालय में ही आवेदन फॉर्म दिए जा रहे थे तथा फार्म जमा करने की व्यवस्था भी निगम मुख्य कार्यालय में ही थी परंतु हितग्राहियों की सुविधाओं के लिए महापौर नीरज पाल एवं निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने निर्णय लेते हुए प्रत्येक जोन कार्यालय में आवेदन फार्म लेने एवं जमा करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं इसी तारतम्य में समस्त जोन कार्यालय में मोर मकान मोर आस के तहत आवेदन फार्म लिए जा सकते हैं तथा आवेदन फार्म जमा भी किए जा सकते है। फार्म लेने के लिए दिनांक 14 अक्टूबर तक की तिथि नियत की गई है तथा आवेदन जमा करने के लिए 27 अक्टूबर तक की तिथि निर्धारित है। यही नहीं निगम मुख्य कार्यालय में हितग्राहियों की सुविधाओं के लिए तथा अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है कंट्रोल रूम का नंबर 07882296213 है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक मोर मकान मोर आस की जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए निगम आयुक्त ने महेश कुमार देवांगन , टूमन लाल साहू एवं दिलीप यादव की ड्यूटी लगाई है।